उत्तर प्रदेश सरकार
विकलांग कल्याण विभाग
अधिसूचना अनुभाग-3
10 अक्टूबर 2001 ई0

सं0 294 / 65-3-2001-62-98 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1996) की धारा 73 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है, अर्थात

उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमवली, 2001

अध्याय-1

प्रारंम्भिक

1-संक्षिपत नाम और प्रारम्भ- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमवली,2001 कही जायेगीं

(2) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- परिभाषाएं-इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 से है;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य अधिनियम के अधीन नियुक्त उपाध्यक्ष से है;

(ग) "उपाध्यक्ष" का तात्प अधिनियम के अधीन नियुक्त उपाध्यक्ष से है;

(घ) "सदस्य" का तात्पर्य अधिनियम के अधीन नियुक्त सदस्य से है;

(ड) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;

(च) "अधिसूचना" का तात्पर्य गजट में प्रकाशित अधिसूचना है;

(छ) "नियमावली" का तात्पर्य अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली से है;

(ज) "विहित" का तात्पर्य नियमावली द्वारा विहित से है;

(झ) "विशेष सेवायोजन कार्यालय" का तात्पर्य विशेष सेवायोजन कार्यालय, सामान्य सेवायोजन कार्यालय में विशेष कोष्ठक और ऐसे सेवायोजन कार्यालयों से है जो गजट में अधिसूचना के द्वारा विशेष सेवायोजन कार्यालय अधिसूचित किये जाय

(ञ) "वर्ष" का तात्पर्य पहली अप्रैल को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से है।

अध्याय -दो

विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्ग-दर्शन सिद्धान्त

3- अधिनियम की धाराओं 2 (ख), (ड), (झ), (ढ़), (द), (ण), (थ), (द), (न) और (प) मे उल्लिखित विभिन्न निःशक्तताओं

के मूल्यांकन के लिए भारत का राजपत्र भाग-ए खण्ड-एक, संख्या 4-2/83 एच. डब्ल्यू- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय से यथा प्रकाशित और समय-समय पर यथासंशोधित मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुकरण किया जायेगा।

4- निःशक्तता प्रमाण-प्रत्र देने वाले प्राधिकारी- निःशक्तता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा सम्यकरूप से गठित चिकित्सा परिषद द्वारा जारी किया जायेगा। राज्य सरकार ऐसी चिकित्सा परिषद का गठन करेगी जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य, यथा स्थिति अन्धता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, चलन निःशक्तता, मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता के निर्धारण के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होगा।

5- चिकित्सा परिषद सम्यक, परीक्षण के पश्चात ऐसी स्थायी निःशक्तताओं के मामले में एक स्थायी प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। जहाँ निःशक्तता के स्तर मे किसी परिवर्तन की सम्भावना न हो, जहाँ निःशक्तता के स्तर में किसी परिवर्तन की सम्भावना हो चिकित्सा परिषद द्वारा प्रमाण-पत्र में विधि मान्यता की अवधि का संकेत किया जायेगा।

6- उपर्युक्त नियम के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण देश के लिए विधि मान्य होगा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जैसी कि केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आरोपित की जाय सरकारी या गैर सरकारी संगठनों की किसी योजना के अधीन अनुमन्य सुविधाओं, रियायतों और लाभों के लिए आवेदन करने के लिए ऐसे व्यक्ति को पात्रता प्रदान करेगा।

7- राज्य सरकार किसी विवाद को सुलझाने के लिए एक अपीलीय चिकित्सा परिषद की नियुक्ति करेगी

अध्याय -तीन

राज्य समन्वय समिति

8- सदस्यता नियमावली- राज्य समन्वय समिति का सदस्य सचिव सदस्यों के नामों और उनके पतों का अभिलेख रेखगा।

9- पते का परिवर्तन-यदि कोई सदस्य अपना पता परिवर्तित करता है तो वह सदस्य सचिव को अपना नया पता सूचित करेगा जो कि तब कार्यालय अभिलेखों में उसके नए पते को प्रविष्टि करेगा किन्तु यदि वह नए पते को सूचित करने में विफल रहता है तो कार्यालयीय अभिलेखों में लिखे पते को सभी प्रयोजनों के लिए सदस्य का सही पता समझा जायेगा

10- दैनिक और यात्रा-भत्ता -(1) राज्य मुख्यालय में निवास कर रहे राज्य समन्वय समिति के अशासकीय सदस्यों को राज्य समन्वय समिति की वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए 75.00 रूपये भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

(2) राज्य मुख्यालय में निवास न कर रहे राज्य समन्वय समिति के अशासकीय सदस्यों को वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए राज्य सरकार के श्रेणी एक के अधिकारी को अनुमन्य दैनिक और यात्रा-भत्ता का भुगतान किया जायेगा। परन्तु राज्य विधान मंडल के किसी सदस्य के मामले में जो कि राज्य समन्वय समिति का भी सदस्य हो, उक्त दैनिक और यात्रा-भत्ता में अनुमन्य दरों पर किया जायेगा, जबकि विधान मण्डल सत्र में न हो और सदस्य द्वारा एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय कि उसने किसी अन्य सरकारी स्रोत से उस यात्रा और विरामों के लिए ऐसा कोई भत्ता आहरित नहीं किया है।

11- बैठक की सूचना- (1) राज्य समन्वय समिति की बैठकें साधारणतया राज्य मुख्यालय पर ऐसे दिनों को की जायेगी जैसा अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाय:

परन्तु वह प्रत्येक छः महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(2) अध्यक्ष राज्य समन्वय समिति के दस सदस्यों से अन्यून के लिखित निवेदन पर राज्य समन्वय समिति की विशेष बैठक बुलायेगा।

(3) सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को समय और स्थान जहाँ ऐसी बैठक की जानी हो और संचालन किए जाने वाले कारोबार को विनिर्दिष्ट करते हुए किसी साधारण बैठक हेतु 15 पूर्ण दिनों की सूचना और विशेष बैठक हेतु 5 पूर्ण दिनों की सूचना दी जायेगी।

(4) सदस्यों को किसी बैठक की सूचना संदेशवाहक द्वारा परिदत्त कराकर ग उसके निवास या कारोबार के अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर या ऐसी अन्य रीति से जैसा कि मामले की परिस्थतियों में अध्यक्ष उचित समझे दी जायेगी।

(5) कोई सदस्य किसी ऐसे विषय को बैठकों के विचारार्थ प्रस्तुत करने का हकदार न होगा, जिसकी सूचना दस पूर्ण दिनों पूर्व सदस्य-सचिव को न दी गयी हो जब तक कि अध्यक्ष अपने विवेक से उसे ऐसा करने की अनुमति नही दे दे-

(क) राज्य समन्वय समिति अपनी बैठकों की दिन प्रतिदिन या किसी विशेष दिन के लिए स्थगित कर सकती है।

(ख) जहाँ राज्य समन्वय समिति को कोई बैठक दिन प्रतिदिन के लिए स्थगित की जाती है वहाँ ऐसी स्थगित बैठक की सूचना नगर, शहर या अन्य स्थान जहाँ स्थगित बैठक की जा रही है में उपलब्ध सदस्यों को दूरभाष या विशेष संदेशवाहक द्वारा दी जायेगी और अन्य सदस्यों को स्थगित बैठक की सूचना दिया जाना आवश्यक न होगा।

(ग) जहाँ राज्य समन्वय समिति की कोई बैठक दिन प्रतिदिन के लिए स्थगित न होकर बैठक के दिनांक से किसी अन्य दिनांक के लिए स्थगित की जाती है तो ऐसी बैठक की सूचना उपनियम (4) में यथा उपबंधित रूप से सभी सदस्यों को दी जायेगी।

12-पीठासीन अधिकारी - अध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक बैठक, जिसमें वह उपस्थित हो, की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्षता करेगा, किन्तु जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही किसी बैठक में अनुपस्थित हों तो उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता के लिए किसी सदस्य का निर्वाचन करेंगे।

13-गणपूर्ति -(1) किसी बैठक के लिए कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों द्वारा गणपूर्ति की जायेगी।

(2) यदि किसी बैठक हेतु निर्धारित समय पर या किसी बैठक के दौरान कुल सदस्यों के एक तिहाई से कम सदस्य उपस्थित हों तो अध्यक्ष ऐसे आगामी समय या किसी अन्य भविष्यकालीन दिनांक के लिए जैसा वह नियत करें, बैठक को स्थगित कर सकता है।

(3) स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) कोई भी विषय जो मूल बैठक की कार्यसूची में नहीं था, ऐसी स्थगित बैठक में विचारित नहीं किया जायेगा।

(5) क-जहाँ राज्य समन्वय समिति की बैठक उपनियम (2) के अधीन गणपूर्ति के अभाव में आगामी दिन के लिए स्थगित की जाएगी वहाँ ऐसी स्थगित बैठक की सूचना नगर, शहर या अन्य स्थान जहाँ स्थगित बैठक की जा रही है, पर उपलबध सदस्यों को दूरभाष या विशेष संदेशवाहक द्वारा दी जाएगी। और सदस्यों को स्थगित बैठक की सूचना दिया जाना आवश्यक न होगा।

ख- जहाँ राज्य समन्वय समिति की बैठक उपनियम (2) के अधीन, गणपूर्ति के अभाव में अगले दिन हेतु नहीं अपितु किसी अन्य दिनांक के लिए स्थगित की जाती है वहाँ नियम 11 के उपनियम (4) में यथा उपबन्धित रूप से ऐसी स्थगित बैठक

की सूचना सभी सदस्यों को दी जाएगी।

14-कार्यवृत- (1) सदस्य सचिव द्वारा एक पुस्तिका में, बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम और बैठक की कार्यवाही के अभिलेख इस निमित्त अनुरक्षित एक पुस्तिका में रखा जाएगा।

(2) प्रत्येक उत्तरवर्ती बैठक के प्रारम्भ में पूर्ववर्ती बैठके के कार्यवृत्त को पढ़ा जायेगा और ऐसी बैठक में पीठासीन अधिकारी द्वारा पुष्ट और हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) कार्यवाहियाँ सदस्य सचिव के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए मुख्य रूप से उपलब्ध रहेगी।

15- राज्य समन्वय समिति की बैठकों से अनुपस्थिति- राज्य समन्वय समिति का कोई सदरय जो लगातार तीन बैठकों में अध्यक्ष से छुट्टी प्राप्त किये बिना अनुपस्थित रहता है, राज्य समन्वय समिति का सदस्य नहीं रह जायेगा।

16- बैठक में व्यवस्था का बनाया जाना- पीठासीन अधिकारी बैठक में व्यवस्था बनाये रखेगा।

17- बैठकों में कारोबार संव्यवहृत किया जाने वाला- सिवाय पीठासीन अधिकारी की अनुमति के किसी बैठक में किसी ऐसे कारोबार का, जिसकी प्रविष्टि कार्यवृत्त में न की गई हो या जिसकी सूचना किसी सदस्य द्वारा नियम 11 के उपनियम (5) के अधीन न दी,गई हो, संव्यवहार नही किया जायेगा।

18- जब तक कि अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में अन्यथा संकल्पित न किया जाय किसी भी बैठक में कारोबार का संव्यहार उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उसकी प्रविष्टि कार्यवृत्त में की गयी हो।

19- बहुमत द्वारा विनिश्चय- समिति की बैठक में विचारित सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थितिय में उपाध्यक्ष, या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य निर्णायक मत देगा।

20- रिक्ति या किसी त्रृटि के कारण कोई कार्यवाही का - राज्य समन्वय समिति की कोई कार्यवाही समिति के गठन में मात्र किसी त्रुटि या उसमें किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण अविधिमान्य न होगी।

अध्याय-चार-राज्य कार्यकारिणी समिति

21- दैनिक और यात्रा भत्ता- (1) राज्य कार्यकारिणी समिति के, राज्य मुख्यालय पर निवास करने वाले आशासकीय सदस्यों को राज्य समन्वय समन्वय समिति की वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए 75.00 रूपये प्रतिदिन के भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

(2) राज्य समन्वय समिति के अशासकीय सदस्यों को, जो राज्य मुख्यालय पर निवास नहीं कर रहे हैं, वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए राज्य सरकार के श्रेणी एक के अधिकारी को अनुमन्य दैनिक और यात्रा-भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

22- बैठकों की सूचना- राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठकें सामान्यतया राज्य मुख्यालय पर ऐसे दिनांक को की जायेगी जैसा अध्यक्ष द्वारा नियत किया जायेगा। परन्तु प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बैठक की जायेगी

(2) अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति के 10 सदस्यों से अन्यून के लिखित निवेदन पर राज्य कार्यकारिणी समिति

की विशेष बैठक बुलायेगा।

(3) सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों, समय और स्थान जहाँ ऐसी बैठक की जानी हो और संचालन किये जाने वाले कारोबार को विनिर्दिष्ट करते हुए किसी साधारण बैठक के लिए 15 पूर्ण दिनों की और विशेष बैठक के लिए 5 पूर्ण दिनों की सूचना दी जायेगी।

(4) सदस्यों को किसी बैठक की सूचना संदेशवाहक द्वारा परिदत्त कराकर या उसके निवास या व्यवसाय के अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर या ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी जैसा कि मामले की परिस्थितियों में अध्यक्ष उचित समझे।

(5) कोई सदस्य किसी ऐसे विषय को बैठक में विचाराणार्थ प्रस्तुत करने का हकदार न होगा जिसकी सूचना दस पूर्ण दिनों पूर्व सदस्य सचिव को न दी गई हो, जब तक कि अध्यक्ष अपने विवेक से उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे दे।

(6) क- राज्य समन्वय समिति अपनी बैठकों को दिन प्रतिदिन या किसी विशेष दिन के लिए स्थगित कर सकती है।

ख- जहां राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिन प्रतिदिन के लिए स्थगित की जाती है वहां ऐसी स्थगित बैठक की सूचना नगर, शहर या अन्य स्थान जहां स्थगित बैठक की जा रही है। में उपलब्ध सदस्यों को दूरभाष या विशेष संदेशवाहक द्वारा दी जायेगी और अन्य सदस्यों को बैठक की सूचना दिया जाना आवश्यक न होगा।

ग- जहाँ राज्य कार्यकारिणी समिति के बैठक दिन प्रतिदिन के लिए स्थगित न होकर बैठक के दिनों से किसी अन्य दिनों के लिए स्थगित की जाती है वहाँ ऐसी बैठक की सूचना उपनियम (4) में यथा उपबंधित रूप से सभी सदस्यों को दी जायेगी।

23- अध्यक्ष, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की जिसमें वह उपस्थित हो, अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में सदस्यागण उसी बैठक की अध्यक्षता के लिए किसी एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे।

24- गणपूर्ति - (1) किसी बैठक के लिए कुल सदस्यों के एक तिहाई से गणपूर्ति होगी।

(2) यदि किसी बैठक के लिए निर्धारित समय पर या किसी बैठक के दौरान कुल सदस्यों के एक तिहाई से कम सदस्य उपस्थिति हों तो अध्यक्ष ऐसे आगामी समय या किसी अन्य भविष्यकालीन दिनांक के लिए जैसा वह नियम करें, बैठक को स्थगित कर सकता है।

(3) स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) कोई भी विषय जो मूल बैठक की कार्यसूची में नहीं था, ऐसी स्थगित बैठक में विचारित नहीं किया जायेगा।

(5) (क) जहाँ राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक उपनियम (2) के अधीन गणपूर्ति के अभाव में आगामी दिन के लिए स्थगित की जाती है वहाँ ऐसी स्थगित बैठक की सूचना नगर, शहर या अन्य स्थान जहाँ स्थगित बैठक की जा रही है पर उपलब्ध सदस्यों को दूरभाष या विशेष सन्देशवाहक द्वारा दी जायेगी और अन्य सदस्यों को स्थगित बैठक की सूचना दिया जाना आवश्यक न होगा।

(ख) जहाँ राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक उपनियम (2) के अधीन गणपूर्ति के अभाव में आगामी दिनों के लिए नहीं अपितु किसी अन्य दिनांक के लिए स्थगित की जाती है वहाँ नियम 22 के उपनियम (4) में यथा उपबंधित रूप से ऐसी स्थगित बैठक की सूचना सभी सदस्यों को दी जोयगी।

25- कार्यवृत्त-(1) सदस्य-सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नामों और बैठक की कार्यवाहियों के अभिलेख का उस निमित्त अनुरक्षित एक पुस्तिका में रखा जायेगा।

(2) पूर्ववर्ती बैठक के कार्यवृत्त को प्रत्येक उत्तरवर्ती बैठक के प्रारम्भ में पढा जायेगा और ऐसी बैठक की पीठासीन अधिकारी द्वारा पुष्ट और हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) **कार्यवाहियां सदस्य-**सचिव के कार्यालय में किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध रहेगी।

26- राज्य कार्यकारिणी समिति की **बैठकों** से अनुपस्थिति-राज्य कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य जो अध्यक्ष से छुट्टी प्राप्त किये बिना लगातारा तीन बैठकों से अनुस्थित रहता है, राज्य कार्यकारिणी समिति का सदसय नही रह जायेगा।

27- बैठक में व्यवस्था बनाये रखना- पीठासीन अधिकारी बैठक में व्यवस्था बनाये रखेगा।

28- बैठक में संव्यवहृत किये जाने वाला कारोबार-जब तक बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से अन्यथा संकल्प न किया गया हो, किसी बैठक में कारोबार का संव्यवहार उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उसकी प्रविष्टि कार्य-सूची में की गयी हो।

29- बहुमत द्वारा विनिश्चय- समिति की बैठक में विचारित सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से कियाजायेगा और मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में यथास्थिति अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य निर्णायक मत देगा।

30- कोई रिक्ति या किसी त्रुटि के कारण किसी कार्यवाही का अविधिमान्य होना- राज्य कार्यकारिणी समिति की काई कार्यवाही समिति गठन में केवल या उसमें किसी त्रुटि किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

31- राज्य कार्यकारिणी समिति के साथ व्यक्तियों के संगम की रीति और उसका प्रयोजन-(1) राज्य कार्यकारिणी समिति अपनी किसी बैठक के विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर सकती है जिसकी सहायता या सलाह उसके किसी कृत्यों के पालन में उपयोगी समझाा जाय।

(2) यदि उपनियम (1) के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति के साथ सहयुक्त व्यक्ति, राज्य मुख्यालय में निवास कर रहा गैर सरकारी व्यक्ति हो, तो वह उस राज्य कार्यकारिणी समिति की, जिसमें वह इस प्रकार सहयुक्त है, वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए 75 रूपये प्रतिदिन का भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति राज्य मुख्यालय में निवास न कर रहा हो तो उसे वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य दैनिक और यात्रा भत्ता देय होगा।

(4) यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवक हो या किसी सरकारी उपक्रम में कोई कर्मचारी है तो उसके द्वारा यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कि उसने उसी यात्रा और विरामों के लिए किसी अन्य सरकारी स्रोत से कोई ऐसा यात्रा भत्ता आहरित नहीं किया है, उस पर लागू सुसंगत नियमों के अधीन अनुमन्य दरों मात्र पर वह यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

32- सहयुक्त व्यक्ति के लिए फीस-नियम 31 में किसी वाद के होते हुए भी राज्य कार्यकारिणी समिति राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से समिति से सहयुक्त व्यक्ति की धारा 22 के अधीन समनुदेशित कार्य की प्रकृति और सहयुक्त व्यकित की अर्हता और अनुभव के आधार पर ऐसी फीस का भुगतान कर सकती है जैसा उचित समझा जाये:

परन्तु राज्य कार्यकारिणी समिति राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना किसी व्यक्ति को सहयुक्त नहीं करेगी, यदि संगम

की अवधि चार माह से अधिक हो या उसे देय शुल्क 3000.00 रूपये प्रतिमाह से अधिक हो।

33- सहयुक्त व्यक्ति द्वारा दौरा- सहयुक्त व्यक्ति, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उसे सौपे गये कर्तव्यों के अनुपालन के लिए देश के भीतर दौरे पर जा सकता है और उसे दौरे के सम्बन्ध में वह ऐसी दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा जो राज्य सरकार के किसी प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य है।

34- सहयुक्त व्यक्ति द्वारा किसी सूचना को प्रकट न किया जाना- सहयुक्त व्यक्ति राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा दी गई या उसे मनुदेशित कर्तव्यों के अनुपालन के दौरान राज्य कार्यकारिणी समिति से या अन्य प्राप्त किसी सूचना को राज्य कार्यकारिणी समिति से भिन्न किसी व्यक्ति को समिति के अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के बिना प्रकट नहीं करेगा।

35- सहयुक्त व्यक्ति के कर्तव्य और कृत्य सहयुक्त व्यक्ति ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसे कृत्यों का निर्वाह करेगा जो राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उसे समनुदेशित किए जाए।

अध्याय -पांच
नियोजन

36- रिक्तियों की संगणना :- श्रेणी क, ख, ग, और घ के पदों में निःशक्त व्यक्तियों हेतु रिक्तियों की संगणना के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सम्बोधित शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

37- विशेष सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों की अधिसूचना- विशेष सेवायोजन कार्यालय, जिन्हें रिक्तियाँ अधिसूचित की जानी है।-

(1) ऐसे अधिष्ठानों, जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार अधिनियम के अधीन समुचित सरकार है में होने वाली किसी प्राविधिक और वैज्ञानिक प्रकृति के पदों की रिक्तियों को ऐसे विशेष सेवा योजन कार्यालयों को अधिसूचित किया जायेगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रिक्तियों से भिन्न रिक्तियों को सम्बन्धित स्थानीय विशेष सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किया जायेगां

38- रिक्तियों को अधिसूचित किये जाने का प्रारूप और रीति- रिक्तियों को सूचित विशेष सेवायोजन कार्यालय को लिखित रूप में अधिसूचित किया जायेगा और प्रत्येक प्रकार की रिक्ति के सम्बन्ध में, जहाँ साध्य हो निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किये जायेगें-

1- नियोजक का नाम और पता

2- नियोजक का टेलीफोन नम्बर
यदि कोई हो

3- रिक्ति की प्रकृति'

(क) अपेक्षित कर्मकारों का प्रकार (पदनाम)

(ख) कर्तव्यों का विवरण,

(ग) अपेक्षित अर्हताएं-

(क) अनिवार्य

(ख) वांछनीय

(घ) आयु सीमा यदि कोई हो,

(ङ) क्या महिलाएं भी पात्र हैं ?

4- रिक्तियों की संख्या-

(क) नियमित

(ख) अस्थायी

5- वेतन और भत्ते

6- कार्य का स्थान (उस शहर/ग्राम और जिले का नाम जिसमें वह स्थित है।)

7- अधि संभाव्य दिनांक, जिस तक रिक्तियां भरी जायेगी।

8- आवेदकों के साक्षात्कार/परीक्षा से सम्बन्धित विवरण-

(क) साक्षात्कार/परीक्षा का दिनांक

(ख) साक्षात्कार/परीक्षा का स्थान

(ग) साक्षात्कार/परीक्षा का समय

(घ) उस व्यक्ति का पदनाम और पता, जिसके समक्ष आवेदक उपस्थित होगा।

9- क्या रिक्तियों को भरने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिये जाने के लए कोई बाध्यता या व्यवस्था है, और यदि ऐसा है, तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या।

10- यदि कोई अन्य सूसंगत सूचना- यदि उपनियम (1) के अधीन विशेष सेवायोजन कार्यालय को पहले से उपलब्ध कराये गये विवरणों में कोई परिवर्तन हो जाय तो रिक्तियों को समुचित विशेष सेवायोजन कार्यालय को लिखित रूप से पुनः अधिसूचित किया जायेगा।

39- रिक्तियों को अधिसूचित किये जाने के लिए समय सीमा- (1) स्थानीय विशेष सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के लिए अपेक्षित रिक्तियों को जहाँ साक्षात्कार या परीक्षाएं ली जाती हों, आवेदकों के साक्षात्कार या उनकी परीक्षा लिए जाने के दिनांक से या यदि कोई साक्षात्कार या परीक्षा न ली जानी हो, तो उस दिनांक से जब रिक्तियाँ भरी जाने के लिए आशायत हों, कम से कम 15 दिन पूर्व अधिसूचित किया जायेगा।

(2) नियम 38 के उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित विशेष सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के लिए अपेक्षित रिक्तियों को जहाँ साक्षात्कार या परीक्षा ली जानी हो, आवेदकों के साक्षात्कार या परीक्षा लिए जाने के लिए जाने के दिनांक से या कोई साक्षात्कार या परीक्षा न ली जाती हो, तो उस दिनांक से जब रिक्तियाँ भरी जाने के लिए आशयित हो, कम से कम चार सप्ताह पूर्व अधिसूचित किया जायेगा।

(3) नियोजक चयन के दिनांक से 15 दिन के भीतर चयन के परिणामों को संबंधित विशेश सेवायोजन कार्यालय को उपलब्ध करायेगा।

40- विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना- कोई नियोजक त्रैमासिक विवरणियों को प्रपत्र-एक में और द्विवार्षिक विवरणियों को प्रपत्र दो में, जैसा समय-समय पर संशोधित किया जाय, स्थानीय विशेष सोवायोजन कार्यालय को उपलब्ध

करायेगा। त्रैमासिक विवरणियां नियत दिनांक अर्थात 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर, और 31 दिसम्बर के तीस दिन के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। द्विवार्षिक विवरणी सरकारी गजट में यथा अधिसूचित नियत दिनांक के तीस दिन के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

41- प्रपत्र जिसमें नियोजक द्वारा अभिलेख को रखा जायेगा- नियोजक समय-समय पर यथा संशोधित प्रपत्र संख्या तीन में निःशक्त कर्मचारियों का अभिलेख रखेगा।

अध्याय-छः

निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की मान्यता

42- आवेदन का प्रपत्र- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए प्रत्येक आवेदन प्रपत्र चार में किया जायेगा।

43- प्रमाण-पत्र प्रदान करने से इंकार करने वाला आदेश- सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात कोई प्रमाण-पत्र प्रदान करने से इंकार करने वाला आदेश दे सकता है। ऐसे आदेश में ऐसा प्रमाण-पत्र प्रदान करने से इंकार करने के विनिर्दिष्ट कारण भी दिये गये होंगे और उसे आवेदक को रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से संसूचित किया जायेगा।

44- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधि मान्यता- धारा 52 के अधीन प्रदत्त कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जब तक धारा 53 के अधीन उसे प्रतिसंहृत न किया जाय तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

45- अपील- किसी प्रमाण-पत्र को प्रदान करने से इंकार करने वाले या किसी एक प्रमाण-पत्र को प्रतिसंहत करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति 30 दिन की अवधि के भीतर ऐसे इंकार या प्रति संहरण के विरूद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

परन्तु राज्य सरकार 30 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी अपील को, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि उक्त अवधि के भीतर अपील न दायर करने का पर्याप्त कारण था, ग्रहण कर सकती है।

अध्याय-सात

निःशक्त व्यक्ति आयुक्त

46- आयुक्त द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया- कोई परिवाद निम्नलिखित विवरण के साथ स्वयं परिवादी द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा निःशक्त व्यक्ति आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा या उसे आयुक्त को संबोधित करके रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जायेगा।

(क) परिवादी का नाम, विवरण और पता,

(ख) यथास्थिति, विरोधी पक्षकार या पक्षकारों का नाम, विवरण और पता जहाँ तक उन्हें अभिश्चित किया जा सके,

(ग) परिवादी से सम्बन्धित तथ्य और यह कब और कहाँ उद्भूत हुआ;

(घ) परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथन के समर्थन में दस्तावेज;

(ङ) अनुतोष जिसका परिवादी दावा करता हो।

(2) किसी परिवाद को प्राप्त करने के पश्चात आयुक्त परिवाद की एक प्रति परिवाद में उल्लिखित विरोधी पक्षकार को यह निदेश देते हुए भेजेगा कि वह 30 दिनों की अवधि या ऐसी विस्तारित युक्तियुक्त अवधि के भीतर जो आयुक्त द्वारा संस्वीकृत की जाय, अपने वाद का अभिमत दे दें।

(3) सुनवाई के दिनांक या सुनवाई स्थगित किये जा सकने वाले किसी अन्य दिनांक की पक्षकारों और उनके अभिकर्ताओं के लिए आयुक्त के समक्ष उपस्थित होना आबद्धकर होगा। जहाँ परिवादी या उसका अभिकर्ता ऐसे दिनांक को आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहें, वहाँ आयुक्त स्वविवेकानुसार परिवाद को या तो व्यक्तिक्रम के आधार पर खारिज कर देगा या गुणावगुण के आधार पर विनिश्चिय करेगा। वहाँ विरोधी पक्षकार या उसका अभिकर्ता सुनवाई के दिनांक को उपस्थित होने में असफल रहे, वहाँ आयुक्त अधिनियम की धारा 63 के अधीन ऐसी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है जैसी वह उपस्थिति आहूत करने या प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक समझे। तथापि वह परिवाद का निपटारा एकपक्षी रूप से कर सकता है।

(4) आयुक्त ऐसे निबन्धनों पर जिन्हें वह उचित समझे और कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर वाद की सुनवाई को स्थगित कर सकता है। किन्तुवाद का निनिश्चय, यथा संभव, विरोधी पक्षकार द्वारा नोटिस प्राप्त करने के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर कर लिया जायेगा।

47- आयुक्त के वेतन और भत्ते- निःशक्त व्यक्ति आयुक्त ऐसे वेतन-भत्ते और अन्य परिलब्धिया पाने का हकदार होगा जो राज्य सरकार के सचिव को उपलब्ध है।

48- राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना- आयुक्त राज्य सरकार की अधिनियम की धारा 61 (घ) के अधीन अधिनियम के कार्यान्वयन पर छः माह के अन्तराल पर ऐसी रीति से रिपोर्ट पस्तुत करेगा कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो रिपोर्ट भेज दी जाय।

49- वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(2) विशिष्टतया, उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में सूचना अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात-

(क) परिषद् के कर्मचारी वर्ग के अधिकारियों के नाम और संघटनात्मक गठन को प्रदर्शित करता हुआ एक चार्ट।

(ख) अधिनियम की धारा 61 और 62 के अधीन आयुक्त को सशक्त किये गये कृत्य और इस सम्बन्ध में निषदन की विशिष्टताएं;

(ग) आयुक्त द्वारा की गयी मुख्य संस्तुतियाँ;

(घ) अधिनियम के कार्यान्वयन में की गयी जिलेवार प्रगति;

(ङ) समावेश के लिए आयुक्त द्वारा उपयुक्त समझ गया समय-समय पर राज्य सरकार विहित किया गया कोई अन्य विषय।